

:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल महासमुन्द (छ.ग.) ::

(07723) 222084, Fax :- 222084 – E-mail – dfomahasamund@rediffmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 2758
प्रति,

महासमुन्द दिनांक 8.05.23

**परियोजना प्रबंधक ,
छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना
(ए. बी.डी. प्रोजेक्ट)
लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.)**

विषय: – Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for the rehabilitation and Upgrading of Dewari- Saldih- Gadphuljhar- Toshgaon- Toreshingha Road area 2.767 ha. Mahasamund District in the State of Chattisgarh- reg.

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक F.No. FC-I/ IROCH – 20 / 2023 /1369 (A) दिनांक 28-04-2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक III अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. हेतु वर्ष 2023-24 के लिये सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर 9,66,666.00 प्रति हे. की मान से $5.534 \times 9,66,666.00 = 53,49,530.00$ (तिरपन लाख उन्चास हजार पाँच सौ तीस रुपये मात्र) एवं शर्त क्रमांक IV प्रत्याशा मुल्य की राशि गणना पत्रक अनुसार 33,99,508.00 (तीतीस लाख निन्यानबे हजार पाँच सौ आठ रुपये मात्र) कुल राशि 87,49,038.00 (सत्यासी लाख उनचास हजार अड़तीस रु मात्र) को ई-पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करवा कर कैम्पा खाता में जमा करें।

शर्त क्रमांक V अनुसार प्रकरण में प्रभावित होने वाले 933 वृक्षों के विदोहन में व्यय होने वाली राशि 1,71,658.00 (एक लाख ईखत्तर हजार छह सौ अन्ठावन रुपये मात्र) को वनमंडलाधिकारी महासमुन्द के नाम से देय डी.डी. बनवाकर इस कार्यालय में जमा करें।

साथ ही प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पृथक-पृथक वचन पत्र सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेशित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र. / मा.चि. / 2759
प्रतिलिपि :-

परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अधिरोपित शर्त क्रमांक II(B) अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र वनखण्ड चिखली ब कक्ष क्रमांक 469 का अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करे।


वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, महासमुन्द

महासमुन्द, दिनांक 8.05.23


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, महासमुन्द